पश्चिम मध्य रेल

क्र.सीएससी/जेबीपी/अभियोजन/13

कार्यालय
महानिरीक्षक-सह-मुख्य सुरक्षा आयुक्त
रे.सु.ब./प.म.रेल/जबलपुर
दिनांक-23.09.2013

उप मुख्य संकेत एवं दूरसंचार अभियंता (टेली.)
पश्चिम मध्य रेल/जबलपुर

विषय- माह अगस्त-2013 में पश्चिम मध्य रेल के क्षेत्राधिकार में रेल अधिनियम एवं रेल संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण ।

,,,,,,,,,,

उपरोक्त विषय में सुरक्षा विभाग से संबंधित जानकारी ई-मेल के माध्यम से भेज दी गई है । साथ ही हार्ड कॉपी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

कृपया संलग्न जानकारी पश्चिम मध्य रेल की वेब साइड में अंकित करने का श्रम करें ।

संलग्न/- 04 पेज ।

सहायक सुरक्षा आयुक्त (अभियोजन)
रे.सु.ब./मुख्यालय/जबलपुर

रेल संपत्ति (वि0वि0क0) अधिनियम के अंतर्गत माह- अगस्त 2013 मे पंजींत मामले

माह	हल किये गये मामले	बरामद संपत्ति की कीमत	गिरफ्तार		
			बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
अगस्त-2013	38	62482	72	02	00

रेल संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह अगस्त 2013

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
अगस्त 2013	35	38	83007	62482	72	02	00

बुकशुदा संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह अगस्त 2013

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
अगस्त-2013	01	00	8000	2400	03	00	00

रेल सामग्री की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह अगस्त 2013

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
अगस्त 2013	34	38	75007	60082	69	02	00

रे.सु.ब. द्वारा माह जुलाई-2013के दौरान
किये गये अच्छे कार्यो का ब्यौरा

1. दिनांक 29.07.2013 को उप निरीक्षक विजय सिंह हमराह स्टाफ आरक्षक राकेश कुमार मिश्रा के गस्त के दौरान प्लेटफार्म नं. 01 पर गाड़ी क्रमांक 12615 जी.टी. एक्सप्रेस के आगमन के समय एक नाबालिग लड़का लावारिस हालत में घूमता हुआ दिखाई दिया

जिसे बुलाकर पूछतांछ की गयी तो उसने अपना नाम मनीष मौर्या आयु 13 साल निवासी- जिला सूरत गुजरात बताया। लड़के के परिजनों को सूचित किया गया। बाद उक्त लडके को जीवोदय संस्था इटारसी को उचित कार्यवाही हेतु उनके ताबे में दिया गया। बाद दो स्वतंत्र गवाहों के समक्ष जीवोदय संस्था द्वारा उक्त लड़के को उसके पिता श्री हरिशंकर मौर्या को सही व पाक-साफ हालत में सुपुर्द किया गया।

2. दिनांक 30.07.13 रेसुबल थाना हबीबगंज के सउनि कुंवरसिह द्वारा गस्त के दौरान प्लेटफार्म नंबर 01 पर एक गुमशुदा एवं विक्षिप्त व्यक्ति को पाया गया बाद उसके परिजनो को उसके मिलने की सूचना दी गई। दिनांक 01.08.13 को उसकी पुत्री के उपस्थित होने पर सुपुर्दगी नामा के तहत सुरक्षित सुपुर्द किया गया।
3. दिनांक 01.08.2013 को रेलवे स्टेशन भोपाल पर सहायक उपनिरीक्षक आवेन्द्र प्रताप सिंह को दौराने गस्त प्लेटफार्म नंबर 03 पर एक बालक जिसकी उम्र करीबन 14 साल को अकेला प्लेटफार्म पर घूमता दिखाई दिया, बालक से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम मनीष उम्र 14 साल निवासी- जिला सागर मध्यप्रदेश का बताया। उपरोक्त बालक के परिजनो से संपर्क न होने के कारण चाईल्ड लाईन संस्था साउथ एम पी नगर को समक्ष गवाहन सुपुर्द किया गया।
4. दिनांक 05.08.13 को उनि गंजबासोदा एवं हमराह स्टाफ आर जफरउददीन को साथ लेकर गाडी क्रमांक 51631 डाउन पैसेजर को रेलवे स्टेशन पर चैक करने पर 34 नग कच्ची सागौन की बल्लिया लावारिस हालत मे पाई गई जिसे जप्ती पत्र के तहत बल्लियो वन विभाग गंज बासोदा को उक्त सागौन की बल्लियो केा सुपुर्द किया। वन विभाग मे वन अपराध प्रकरण क्रमांक 28/100 दिनांक 05.08.13 कायम किया गया उक्त बल्लियो की कीमत 7000 रुपये आकी गई।
5. दिनांक 05.08.13 को रेलवे स्टेशन भोपाल पर सउनि आवेन्द्र प्रताप सिह को गस्त के दौरान भोपाल स्टेशन पर 01 बालक व 01 बालिका उम्र करीबन 06 व 05 साल के अकेले प्लेटफार्म पर घूमते दिखाई दिये बच्चो से पूछताछ करने पर उन्होने अपना नाम 1. दीपक उम्र 06 साल, 2. लक्ष्मी बाई उम्र 08 साल उक्त दोनो निवासी इंदौर म.प्र. का निवासी होना बताया। उपरोक्त बच्चो के परिजनो से संपर्क नही हो पाया। कुछ समय के बाद उक्त बच्चो की मां थाने पर बच्चो की तलाश करते हुये आई। बच्चो द्वारा पहचाने पर उपरोक्त बालक व बालिका को समक्ष गवाहन सुपुर्द किया गया।
6. दिनांक 05.08.13 को रेलवे स्टेशन भोपाल पर सउनि आवेन्द्र प्रताप सिह को गस्त के दौरान भोपाल स्टेशन पर 02 बालक उम्र करीबन 10 व 08 साल के अकेले प्लेटफार्म पर घूमते दिखाई दिये बच्चो से पूछताछ करने पर अपना नाम पंचोली उम्र 10 साल, 02. मेहरबान उम्र 08 साल निवासी गोसलपुर जबलपुर मप्र का निवासी होना बताया। उपरोक्त बच्चो के परिजनो से संपर्क नही हो पाने के कारण चाईल्ड लाईन संस्था साउथ एमपीनगर को सूचित कर दोनो बच्चो को समक्ष गवाहन सुपुर्द किया गया।
7. दिनांक 08.08.2013 को रेलवे स्टेशन भोपाल पर सउनि आवेन्द्र प्रताप सिह को दौराने गस्त भोपाल स्टेशन पर एक बालक उम्र करीबन 12 साल को अकेले प्लेटफार्म पर घूमते दिखाई दिया। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम विकाश यदुवंशी उम्र 12 साल निवासी जुन्नारदेव जिला छिंदवाडा का निवासी बताया उक्त बालक के परिजनो से संपर्क न हो पाने के कारण न्यूसिड बचपन संस्था भोपाल को सूचित कर बच्चे को समक्ष गवाहन सुपुर्द किया गया।
8. दिनांक-09.08.13 को रेलवे स्टेशन भोपाल पर सउनि आवेन्द्र प्रताप सिंह को गस्त के दौरान एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 16 साल को अकेले प्लेटफार्म पर धूमती दिखाई देने पर सउनि द्वारा लड़की से पूछताछ किया तो उसने अपना नाम किरणजीत उम्र 16 साल निवासी ऐशबाग थाना भोपाल बताया तथा उक्त लड़की के परिजनों से मोबाइल पर संपर्क किया गया। बच्ची द्वारा अपने परिजनों के रूप में पहचानने पर समक्षम गवाहन परिजनों को सुपुर्द किया गया।
9. दिनांक 14.8.2013 को प्र.आर. चंदनसिंह व आर. अमरसिंह द्वारा स्वतन्त्रता दिवस की पूर्व सन्ध्या पर सुरक्षा बन्दोबस्त के दौरान गाडी न.12185 को चैक किया गया तो उसके सामान्य कोच मे एक बाहरी व्यक्ति सन्दिग्ध हालत मे लगभग 03 किलो गैस सहित सिलेण्डर लेकर जाते को पकडा गया। उस व्यक्ति के ऊपर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए आरोपी पुनीत त्रिपाठी पुत्र चेतन त्रिपाठी उम्र 25 साल निवासी गॉव उमरी पुलिस थाना सीमोर जिला रीवा के विरूद्ध अपराध क्रमांक 1657/13 धारा अंतर्गत 164 रेल अधिनियम दर्ज कर आरोपी उक्त को गिरफ्तार किया गया व दिनांक 15.08.13 को माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
10. दिनांक 29.08.2013 को गाडी सं0 12903 स्वर्ण मन्दिर मेंल के प्लेटफार्म नं0 01 पर आने के बाद गाडी के रवाना होते समय एक महिला यात्री का पैर कोच के पायदान से फिसलने से वह गिर गई उसके शरीर का आधा हिस्सा प्लेटफार्म पर व आधा प्लेटफार्म व गाडी के बीच में था। उक्त महिला यात्री को गिरते देख महिला आरक्षक मधु मारोठिया तुरन्त दोडकर पहुॅची और उसे संभाल लिया तथा चिल्लाकर गाडी रोकने हेतु कहा गया। जिससे महिला यात्री के परिजनों ने चेन पुलिंग कर गाडी को रोका गया। इसके पश्चात महिला यात्री को बाहर निकाला गया
11. इस माह में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अभियान चलाकर धूम्रपान करते हुए पाये जाने पर 309 व्यक्तियों के विरुद्ध **तम्बाकु अधिनियम** (च्तवीपइपजपवद व िकअमतजपेमउमदज ंदक तमहनसंजपवद व िजतंकमए चतवकनबजपवदए `नचचसल ंदक कपेजतपइनजपवद ।बजए 2003द्ध के तहत कार्यवाही करते हुए उनसे 61,800/-रू. का जुर्माना वसूल किया गया।

रेल अधिनियम के तहत माह अगस्त-2013 में की गई कार्यवाही का विवरण :-

धारा	पंजीकृत मामले	जुर्माना रू. में
137	3272	1414416
138	9835	3680319
139	00	00
141	294	192805
142	00	00
143	02	00
144	1004	341470
145	745	95341
146	12	800
147	809	154375
153	01	00
154	15	63125
155	668	71050
156	357	26750
157	00	00
159	383	84750
160	06	7500
161	00	00
162	795	83250
163	00	00
164	01	00
165	00	00

166	00	00
167	155	8000
172	01	00
173	00	00
174	10	14000
175	00	00
176	00	00
180–जी	00	00
कुल योग	**18765**	**6232951**